राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 257/2015

बनवारी लाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.04.2015
आदेश की दिनांक : 14.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : अनुपस्थित
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में आलौच्य आदेश दिनांक 17.07.2014 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को पहले से स्वीकृत/प्रदत्त प्रथम एसीपी का लाभ भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दिया गया है। वांछित सेवाओं के पूरा करने के बाद अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.02.2014 द्वारा दिनांक 21.05.2011 से प्रथम एसीपी का लाभ प्रदान किया। इसके अलावा अपीलार्थी ने दिनांक 30.04.2013 के आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी अधिकारियों ने अपीलार्थी पर दोहरे तरीके से दंडित किया है। नियमों की शर्तों के अनुसार अपीलार्थी को पांच भर्ती वर्षों के लिए पदोन्नति विलम्ब से किए जाने का दंड पहले ही लगाया जा चुका है। प्रत्यर्थी पुनः अपीलार्थी के विरूद्ध उसी कारण के लिए गैर–कानूनी रूप से दंडित कर रहा है जिस कारण हेतु पहले ही दंडित किया जा चुका है। आदेश दिनांक 30.04.2013 द्वारा अपीलार्थी को 01.06.2002 के पश्चात दो से ज्यादा संतान होने के कारण अपीलार्थी की पदोन्नति 5 भर्ती वर्षों तक नहीं देने हेतु आदेशित किया गया है जबकि अपीलार्थी की पदोन्नति 2006 में देय होती है। अपीलार्थी को दिनांक 11.12.1994 को चिकित्सा अधिकारी के रूप में (तदर्थ आधार पर) नियुक्त किया गया था। आर.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित शोर्ट लिस्ट और साक्षात्कार (नियमित भर्ती) के आधार पर अपीलार्थी को पीएचसी धामनिया भीलवाड़ा में नियमित आधार पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। अपीलार्थी की सेवा के विवरण की प्रति अनुलग्नक–1 पर उपलब्ध है। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के तहत चिकित्सा अधिकारी के रूप में

अपेक्षित सेवा पूरी करने पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 06.03.2013 (अनुलग्नक–2) द्वारा डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 208 पर अंकित है। नियमों और डी.ए.सी.पी. स्कीम के अनुसार पदोन्नति का लाभ अपीलार्थी को वर्ष 2006 में ही दिया जाना था परन्तु दिनांक 01.06.2002 के बाद अपीलार्थी के दो से अधिक संतान होने के कारण नियमों के तहत लगाई गई शर्त के कारण अपीलकर्ता को पांच भर्ती वर्षों की समय अवधि के लिए पदोन्नति के उपरोक्त लाभ में को विलम्ब किया जाकर तदनुसार यह लाभ वर्ष 2011 (11.07.2011) में दिया गया। दिनांक 01.06.2002 के बाद तीसरे बच्चे के जन्म के उपरोक्त तथ्य पर विचार करने के बाद अपीलार्थी को पहले ही डी.ए.सी.पी योजना के तहत पदोन्नति से 5 वर्ष के लिए वंचित कर दिया गया है एवं 2006 के बजाय उसे वर्ष 2011 में पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है। आदेश दिनांक 05.02.2014 (अनुलग्नक–3) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम एसीपी का लाभ स्वीकृत की गई। अपीलार्थी ने दिनांक 21.05.1996 को सेवां में कार्यग्रहण किया था और 10 वर्ष की सेवा दिनांक 21.05.2006 को पूरी हो गई है परन्तु प्रथम एसीपी का 5 साल विलम्ब से लाभ दिनांक 21.05.2011 से स्वीकृत किया गया, अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–1 पर अंकित है।

आदेश दिनांक 06.03.2013 जारी होने के बाद आदेश दिनांक 30.04.2013 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी के तीसरी संतान दिनांक 01.06.2002 के पश्चात होने पर डी.ए.सी.पी. का लाभ फिर पांच वर्ष स्थगिन करने हेतु तैयारी है, जबकि उपरोक्त दंड पहले ही अपीलार्थी पर वर्ष 2006 में लगाया जा चुका है। तीसरे बच्चे अर्थात् आर्यन का जन्म दिनांक 08.11.2003 को हुआ था, जिसके लिए प्रत्यर्थी विभाग को पहले ही सूचित किया गया था और उसके बाद उपरोक्त तथ्य पर विचार करते हुए अपीलार्थी को पहले ही पदोन्नति 5 भर्ती वर्ष विलम्ब से दी गई है। अन्यथा अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2006 में होती। अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के जरिये न्याय की मांग के लिए प्रत्यर्थी विभाग को कानूनी नोटिस प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–5) परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रत्यर्थी विभाग ने आलौच्य आदेश दिनांक 17.07.2014 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपीलार्थी को पहले से स्वीकृत/प्रदत्त प्रथम एसीपी का लाभ भूतलक्षी प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने वित्त विभाग की अधिसूचना 31.12.2008 के अनुसरण में यह कार्यवाही करना बताया है परंतु इस अधिसूचना में ऐसी कोई अपात्रता निर्धारित नहीं है जो कि आलौच्य आदेश में अंकित है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.07.2014 और आदेश दिनांक 05.02.2014 को गैर–कानूनी एवं प्रभाव

शून्य घोषित कर अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को 21.05.2011 से स्वीकृत एसीपी को निरस्त करने से रोका जावे तथा अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली या अन्य गंभीर कार्यवाही करने से भी प्रत्यर्थी विभाग को रोका जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को सेवा के सभी पारिणामिक लाभ प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग को पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतः जवाब बंद किया गया जाकर बहस सुनी गयी।

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.07.2014 एवं दिनांक 05.02.2024 को चुनौती दी गई है। अपील के अपीलार्थी के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न होने से उसे 10 वर्ष की सेवा पर देय एसीपी 5 वर्ष डेफर कर दिनांक 21.05.2006 के स्थान पर दिनांक 21.05.2011 से आदेश दिनांक 05.2014 द्वारा स्वीकृत की गयी जिसे आदेश दिनांक 17.07.2014 द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि वित्त विभाग के मेमोरण्डम दिनांक 31.12.2009 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने पर एसीपी देय नहीं है। उस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का निवेदन है कि छठे वेतन आयोग की अभिशंषा के आधार पर राज्य सरकार ने वेतनमान नियम 2008 द्वारा नवीन वेतनमान वर्ष 2006 से लागू किए गये जिनमें एसीपी का प्रावधान किया गया था। वित्त विभाग के मेमोरण्डम दिनांक 31.12.2009 के अनुसार दिनांक 01.06. 2002 के पश्चात तीसरी संतान होने पर एसीपी देय नहीं होने से पूर्व में अपीलार्थी को गलत रूप से स्वीकृत प्रथम एसीपी आदेश को निरस्त किया गया जो नियमानुसार है। वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 31.12.2009 के पैरा 2 का बिंदू संख्या 8(iii) निम्नानुसार हैः–

> "The appointing authority shall also obtain an affidavit from the employee with reference to having only two children on or after 01.06.2002 prior to granting ACP. But the employee having more than 2 children shall not be deemed to have been disqualified, so long as the number of children he / she has on 01.06.2002, does not increase."

वित्त विभाग द्वारा मेमोरेण्डम दिनांक 06.10.2015 द्वारा उक्त बिंदू को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया हैः–

> "The appointing authority shall also obtain an affidavit from the employee with reference to having only two children on or after 01.06.2002 prior to granting ACP. An employee who has more than 2 children on or after 01.06.2002 shall not be granted next ACP for 5 years from the date on which his ACP is became due and it would have consequential effect on the subsequent financial upgradation which would also get

deferred to the extent of delay in grant of previous financial upgradation. The employee having more than 2 children shall not be deemed to have been disqualified, so long as the number of children he/she has on 01-06-2002 does not increase.

This order shall come into force with iminediate effect."

इससे स्पष्ट है कि मेमोरेण्डम दिनांक 31.12.2009 के अनुसार इन प्रकरणों में ऐसीपी देय नहीं नहीं थी, जिनमें कर्मचारी के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान हुई थी परंतु मेमोरेण्डम दिनांक 06.10.2015 द्वारा यह प्रावधान किया गया है ऐसे प्रकरणों में कर्मचारी को एसीपी देय होने की तिथी से आगामी 5 वर्ष तक देय नहीं होगी अर्थात देय तिथी से आगामी 5 वर्ष तक देय नहीं होगी। यह प्रतिस्थापन मेमोरेण्डम जारी होने की तिथी से अर्थात दिनांक 06.10.2015 से प्रभावी किया गया है। इसके अनुसार अपीलार्थी को प्रथम एसीपी मेमोरेण्डम जारी होने की तिथी 06.10.2015 से स्वीकृत होगी। लिहाजा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को पूर्व में स्वीकृत प्रथम एसीपी को आदेश दिनांक 17.07.2014 द्वारा निरस्त किया जाना नियमानुसार है। अपीलार्थी का प्रथम एसीपी दिनांक 06.10.2015 से देय होगी।

अपील के अनुसार अपीलार्थी के दिनांक 01.06.2002 के बाद दो से अधिक संतान होने उसकी डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति भी 5 वर्ष डेफर की जाकर वर्ष 2006 के स्थान पर आदेश दिनांक 06.03.2013 द्वारा वर्ष 2011 से प्रदान की गई। इस प्रकार एक ही कारण के लिए अपीलार्थी को दोहरे रूप से दंडित किया जा रहा है। अब प्रत्यर्थी विभाग पत्र दिनांक 30.04.2013 द्वारा अपीलार्थी की डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नति को फिर 5 वर्ष आगे खिसकाना चाहता है। प्रत्यर्थी विभाग को इससे रोका जावे। इस संबंध में अपीलार्थी का डीएसीपी योजना के तहत जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 06.03.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को डीएसीपी के तहत 11.07.2011 से पदोन्नति दी गई। क्योंकि डीएसीपी इसी दिनांक 11.07.2011 से लागू की गई है। इससे पहले पदोन्नति वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर होती थी एवं इस अवधि में अपीलार्थी की कोई पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर नहीं होना पाया जाता है। अतः यह कहना गलत है कि उसके दिनांक 01.06.2002 के बाद तीसरी संतान होने के कारण उसे पदोन्नति 2006 के बजाय 2011 दी गई है। जहां तक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी सतांन होने से पदोन्नति को 5 भर्ती वर्ष तक स्थगित किए जाने का विषय है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर के पुत्र अनुसार अपीलार्थी की डीएसीपी तहत वर्ष 2011 में पदोन्नति आदेश के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सतांन संबंधी सूचना का शपथ पत्र करने पर दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान का तथ्य ज्ञात हुआ है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.06.

2001 के क्रम में मार्गदर्शन चाहा गया कि कार्मिक विभाग की उक्त अधिसूचना के अनुसार ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तिथी से जिससे उसकी पदोन्नति देय होती है, पांच वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा जिनके 1 जून 2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो। इस पत्र के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति को 5 वर्ष के लिए स्थगित करने संबंधी कोई विवरण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है अतः इस बिंदू पर यह अपील प्रिमेच्योर है।

अतः उक्त विवेचना के दृष्टिगत अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)